भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
राज्य सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 6
सोमवार, 21 जुलाई, 2025 (30 आषाढ़, 1947 (शक)) को दिया जाने वाला उत्तर

विमानन विनियामक एवं सुरक्षा निकायों के लिए निधि आवंटन

6 श्री मल्लिकार्जुन खरगे:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पाँच वर्षों के दौरान नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए), नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) सहित प्रमुख विमानन नियामक एवं सुरक्षा निकायों के लिए कुल निधि परिव्यय का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान ऐसे निकायों द्वारा निधि के उपयोग का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में विमानपत्तनों की बढ़ती संख्या के अनुपात में ऐसे निकायों के लिए बजटीय आवंटन में वृद्धि की है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (ख): नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए), नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) सहित प्रमुख विमानन विनियामक और सुरक्षा निकायों के लिए पिछले पांच वर्षों में कुल निधि परिव्यय और निधि उपयोग का वर्षवार विवरण अनुलग्नक के रूप में संलग्न है।

(ग) से (ङ): नागर विमानन मंत्रालय के अंतर्गत सभी संगठनों की आवश्यकताओं के अनुसार और विशेषरूप से देशभर में हवाईअड्डों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए बजटीय आवंटन में नियमित रूप से परिवर्तन किया जाता है।

अनुलग्नक

विनियामक एवं सुरक्षा निकायों के संबंध में निधि आवंटन एवं निधि उपयोग का विवरण

(करोड़ रुपये में)

	2020-21			**2021-22**			**2022-23**			**2023-24**			**2024-25**		
संगठन	**ब.प्रा.**	**सं.प्रा.**	**व्यय**	**ब.प्रा.**	**सं.प्रा.**	**व्यय**	**ब.प्रा.**	**सं.प्रा.**	**व्यय**	**ब.प्रा.**	**सं.प्रा.**	**व्यय**	**ब.प्रा.**	**सं.प्रा.**	**व्यय**
नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए)	193.34	196.28	188.30	204.00	242.95	231.89	263.45	275.91	269.16	309.00	397.55	351.29	302.64	300.64	275.07
नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस)	49.30	51.41	59.23	55.26	60.24	59.62	87.50	84.50	79.34	110.00	100.02	89.22	89.00	87.00	84.44
क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस): पूंजीगत परिसंपत्ति के निर्माण के लिए सहायता अनुदान - भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई)	395.17	630.00	630.00	530.00	900.00	900.00	471.90	900.00	900.00	1014.06	618.00	618.00	300.00	598.00	606.04
पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु पूर्वोत्तर और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) को सहायता अनुदान	0.01	30.00	29.99	13.18	190.00	190.00	150.01	410.00	409.99	30.00	45.00	44.43	0.00	0.00	0.00

******